



कार्यालय, परियोजना निदेशक आत्मा, जामताड़ा।

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

e-Mail Id-atmajmt@gmail.com

(किसान भाईयों के लिए आवश्यक सूचना)

“पहले आओ पहले पाओ के आधार पर”

वित्तीय वर्ष 2024–25 में Food & Nutrition Security – Pulsess योजनान्तर्गत अनुदानित दर पर कृषि यंत्र एवं उपादान

वितरण के लिए कृषकों से आवेदन प्राप्ति हेतु सूचना:-

जामताड़ा जिले के कृषकों को सूचित किया जाता है कि कृषि कार्य को बढ़ावा देने बहु फसलीय कृषि का विकास एवं छोटे इकाई वाले क्षेत्रों के विकास के लिए सिचाई एवं कृषि उपादान छोटे एवं सीमान्त कृषकों/स्वयं सहायता समूहों/कृषक समूहों को अनुदान पर उपलब्ध कराया जाना है जिसमें निम्नलिखित पात्रता एवं शर्तों के साथ आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है—

Food & Nutrition Security – Pulsess

Sl No.	Interventions	Approved rate of assistance	Phy
1	Integtageted Nutrient Management		
	(a) Micro-nutrients	Rs. 500/- per ha or 50% of cost whichever is less	242
	(b) Gypsum/80% WG Sulphur	Rs. 750/- per ha or 50% of cost whichever is less	178
	(c) Lime	Rs. 1000/- per ha or 50% of cost whichever is less	162
	(d) Bio Fertilizers	Rs. 300/- per ha or 50% of cost whichever is less	113
2	Integrated Pest Management (IPM)		
	(a) Distribution of PP Chemicals	Rs. 500/- per ha or 50% of cost whichever is less	147.06
	(b) Weedicides	Rs. 500/- per ha or 50% of cost whichever is less	129
3	Farm Implements & equipments		
(a)	(i) Power Knap Sack Sprayer (for SC/ST, small & marginal,women farmers & NE States) (8-12 Litres)	50% or Rs. 3100/-	30
	Power Knap Sack Sprayer (for other farmers) (8-12 Litres)	40% or Rs.2500/-	15
	(ii) Manual Sprayer (for SC/ST, small & marginal,women farmers & NE States)	50% or Rs.750/-	10
	Manual Sprayer (for other farmers)	40% or Rs.600/-	5
	(iii) Rotavator (for SC/ST, small & marginal,women farmers & NE States) (tractor driven above 35 BHP)-5 feet	50% or Rs. 42000/-	5
	Rotavator for other farmers (tractor driven above 35BHP)-5 Feet	40% or Rs. 34000/-	2
	(iv) Multi Crop Thresher for SC/ST, small & marginal,women farmers & NE States-Tractor driven above 35 BHP upto 4 tonne/hr capacity	50% or Rs. 1,00000/-	1
	Efficient Water Application Tools :		
4(b)	(b) Pump sets	Rs. 10000/ Unit or 50% of cost whichever is less	20
	(c) Pipe for carrying water from source to the field	50% of the cost limited to Rs.50/- per meter for HDPE pipes Rs. 35/ per meter for PVC pipes and Rs. 20/ per meter for HDPE laminated woven lay flat tubes with maximum ceiling of Rs. 15000/- per farmer or group of farmer/beneficiary for water carrying pipes	325
(c)	Cropping System based training (Four Sessions i.e. One before Kharif, one each during Kharif & Rabi crops and one after rabi harvest)	Rs. 3500/- per Session Rs 14000/- Training	3
	Sub Total 4 d(a) to (b)		

(e)	Local Initiatives		
	(a) Activity to be specified (Threshing Floor 30'X30' size	50% of cost or Rs. 57500/each whichever is less	5
	(b) Mini Dal Mill	Rs. 95000/ Unit or 50% of cost whichever is less	1

आवेदन पत्र जमा करने हेतु आवश्यक निदेशः—

1. आवेदन पत्र पर प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक एवं त्रिस्तरीय जन प्रतिनिधि की अनुशंसा अनिवार्य होगा।
2. इस योजना का लाभ वैसे किसान ले सकेंगे जो पिछले तीन वर्षों में सरकारी किसी भी संस्थान से कृषि यंत्र का लाभ न लिया हो।
3. पूर्ण रूपेण भरे हुए आवेदन पत्र इस कार्यालय में दिनांक—10.07.2024 तक कार्यदिवस में पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक स्वीकार किये जा सकेंगे। 10.07.2024 के पश्चात किसी भी परिस्थित में आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेगे।
4. विहित प्रपत्र Website- <https://www.atmajamtara.org.in/> प्राप्त किया जा सकता है।
5. Food & Nutrition Security – Pulses अन्तर्गत राज्य स्तर से आवंटन प्राप्त होने के उपरांत अनुदान की राशि DBT के माध्यम से बैंक खाते में हस्तांतरित किया जायेगा।
6. आवेदन के साथ आधार कार्ड, जमीन रसीद, बैंक पासबुक, पास्पोर्ट साईज फोटोग्राफ, संलग्न करना होगा।
7. अनुदानित दर पर Input लेने वाले कृषकों को प्राथमिकता के आधार पर कृषि यंत्र वितरण किया जाएगा।
8. विशेष जानकारी के लिए अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय/प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक से सम्पर्क किया जा सकता है।
9. आवंटित प्रखण्डवार निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप पहले आओ पहले पाओ के अनुसार इन्पुट एवं कृषि यंत्र का वितरण किया जायेगा।
10. अनुदानित दर पर इन्पुट एवं कृषि यंत्र के वितरण में FPOs/JSLPS/जलछाजन के सदस्यों/कृषकों को प्राथमिकता दी जायगी।
कार्यालय का पता—परियोजना निदेशक आत्मा, जामताड़ा, संयुक्त जिला कृषि कार्यालय, सर्खेलडीह, जामताड़ा।

जिला कृषि पदाधिकारी सह
परियोजना निदेशक, आत्मा, जामताड़ा।